अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल म0प्र0

Frequently Asked Question

नवीन आपराधिक कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के संबंध में ऐसे प्रश्न जिनकी अक्सर पूछे जाने की संभावना है (Frequently Asked Question) एवं उनके उत्तरः–

प्रश्न क्र.1– पुराने आपराधिक कानून के प्रावधान (धारा) को, नवीन आपराधिक कानून की किस धारा में सम्मिलित किया गया है? यह कैसे ज्ञात किया जाये?

उत्तर – अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 का, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, Sectionwise एक तुलनात्मक टेबल तैयार की गई है, जिसका अवलोकन कर यह ज्ञात किया जा सकता है कि पुराने आपराधिक कानून के प्रावधान (धारा) को नवीन कानून की किस धारा में सम्मिलित किया गया है। अअवि द्वारा तैयार तुलनात्मक टेबल का पीडीएफ तैयार कर समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को वितरित किया जा चुका है। उक्त तुलनात्मक टेबल एनसीआरबी के मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है।

प्रश्न क्र.2– BNSS की धारा 35(7) के अनुसार क्या किसी भी अपराध में यदि आरोपी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की उम्र का है, तो ऐसे आरोपी की गिरफ्तारी के पूर्व पुलिस उप अधीक्षक से अनुमति लेना आवश्यक है?

उत्तर – BNSS की धारा 35(7) के अनुसार ऐसे अपराध के मामले में जो तीन वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय है और ऐसे अपराध का आरोपी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो ऐसे आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस उप अधीक्षक की पूर्व अनुमति से की जायेगी।

प्रश्न क्र.3– BNSS की धारा 37 के अनुसार पुलिस नियंत्रण कक्ष और थाने पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के नाम, पते की जो जानकारी प्रदर्शित की जाना है, वह कब तक प्रदर्शित की जाना है?

उत्तर – BNSS की धारा 37 में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के नाम, पते की जानकारी को प्रदर्शित किये जाने के संबंध में प्रावधान दिये गये है। धारा 37 में यह नहीं बताया गया है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की जानकारी कब से कब तक प्रदर्शित की जाये। इस धारा का आशय यह है कि गिरफ्तारी व्यक्ति की सूचना प्रदर्शित की जाये, जिससे परिजनों को सुविधा हो।

प्रश्न क्र.4– क्या प्रत्येक अपराध में आरोपी को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय के समक्ष पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है ?

उत्तर – प्रत्येक अपराध में आरोपी को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय के समक्ष पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल उन्हीं अपराधों में हथकड़ी का उपयोग किया जा सकता है जिन अपराधों का उल्लेख BNSS की धारा 43(3) में किया गया है।

प्रश्न क्र.5– BNSS की धारा 50 के अनुसार जब गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध जप्त किया जाता है तो उसे तत्काल न्यायालय या सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि उक्त आयुध का परीक्षण करवाया जाना है तो कैसे करवाया जायेगा ?

उत्तर – BNSS की धारा 50 के प्रावधान आज्ञापक है। जप्तशुदा आयुध को तत्काल न्यायालय या थाने के मालखाने में जमा करना आवश्यक है। यदि आयुध का एफएसएल आदि से परीक्षण करवाना आवश्यक है तो न्यायालय या संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आयुध को मालखाने से प्राप्त करने के उपरांत जाँच हेतु भेजा जायेगा।

प्रश्न क्र.6– BNSS की धारा 173(1) के अनुसार जीरो पर एफआईआर करने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही क्या की जावेगी ?

उत्तर – जीरो पर एफआईआर लिखने के बाद, उक्त एफआईआर असल अपराध पंजीबद्ध करने हेतु संबंधित थाने को भेज दी जायेगी जहाँ जीरो की एफआईआर के आधार पर असल अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा।

प्रश्न क्र.7– इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कब लेखबद्ध की जायेगी ?

उत्तर – इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित की जाने पर लेखबद्ध की जायेगी।

प्रश्न क्र.8– इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर सूचना देने वाला व्यक्ति थाने पर उपस्थित नहीं होता है और हस्ताक्षर नहीं किये जाते है, तब किया क्या जायेगा ?

उत्तर – इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है। यदि तीन दिनों के अंदर वह हस्ताक्षर नहीं करता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की जायेगी।

प्रश्न क्र.9– इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के पश्चात फरियादी थाने पर उपस्थित होता है, तब क्या कार्यवाही होगी ?

उत्तर– यदि फरियादी तीन दिन के पश्चात् उपस्थित होता है तो उसके द्वारा पूर्व में इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से दी गई संज्ञेय अपराध की सूचना के आधार पर तो प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं की जायेगी किन्तु जब वह उपस्थित होता है उस दिन उसके द्वारा दी गई संज्ञेय अपराध की सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जायेगी।

प्रश्न क्र.10– किन मामलों में प्रारंभिक जाँच की जायेगी ?

उत्तर– ऐसे अपराध जिनमें तीन वर्ष या उससे अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के कारावास के दण्ड का प्रावधान है, उनमें प्रारंभिक जाँच की जा सकती है।

नोट– भारतीय न्याय संहिता 2023 के ऐसे अपराध जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है– धारा 55,57,58 (क),58(ख),75(2),76,77, 78(2),79,83,85,93,97,110,112,117(2),117(4),118(1), 120(1),121(1),122(2),125(ख),127(3),127(4),127(6),127(7), 127(8),137(2),140(3),144(2),151,154,155,157,1 61,180, 183,185,187,188,191(3),195(1),196(1),196(2),197(1), 197(2),201,204,209,232(1),238(क),249,250(क),250(ख), 253(क),253(ख),254,256,259(ख),260(ख),260(ग),263(ख), 263(ग),263(घ),283,299,303(2),304(2),306,308(2),308(4), 309(5),310(5),311,312,313,316(2),316(3),316(4),317(2), 317(5),318(4),319(2),324(5),324(6),326(क),326(ख), 326(ग),326(घ),326(च),331(2),331(3),331(4),333,334(2), 336(3),336(4),339,341(2), 341(3),342(2),353(2),353(3).

प्रश्न क्र.11– क्या ऐसे प्रत्येक अपराध जिसमें तीन से सात साल की सजा का प्रावधान है प्रारंभिक जाँच की जाना आवश्यक है ?

उत्तर– प्रत्येक अपराध में प्रारंभिक जाँच की जाना आवश्यक नहीं है, उन्हीं अपराधों में प्रारंभिक जाँच की जा सकती है, जहाँ यह संदेह है कि प्रथमदृष्टया कोई संज्ञेय मामला बन रहा है या नहीं।

नोट :– तीन से सात साल की अवधि वाले मामलों में सीधे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने से कोई रोक नहीं है।

प्रश्न क्र.12–प्रारंभिक जाँच कितने दिनों में पूर्ण की जायेगी ?

उत्तर– प्रारंभिक जाँच 14 दिनों के अंदर आवश्यक रूप से पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न क्र.13–प्रारंभिक जाँच किसकी अनुमति से की जायेगी ?

उत्तर– प्रारंभिक जाँच उप पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर की पंक्ति के अधिकारी की अनुमति से की जायेगी।

प्रश्न क्र.14–प्रारंभिक जाँच के लिये उप पुलिस अधीक्षक कितने दिनों में अनुमति देंगे ?

उत्तर– उप पुलिस अधीक्षक कितने दिनों में अनुमति देंगे यह पृथक से लेख नहीं है। 14 दिनों के अंदर ही अनुमति लेकर प्रारंभिक जाँच पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न क्र.15–यदि उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जाँच की अनुमति नहीं दी तब क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर– यदि उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है तो प्रारंभिक जाँच नहीं की जायेगी। प्राप्त सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।

प्रश्न क्र.16– यदि प्रारंभिक जाँच 14 दिनों में पूर्ण नहीं होती है तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर– 14 दिनों में प्रारंभिक जाँच पूर्ण नहीं होती है तो प्राप्त सूचना पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जायेगा।

प्रश्न क्र.17–प्रारंभिक जाँच में संज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर– प्रारंभिक जाँच के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा।

प्रश्न क्र.18–प्रारंभिक जाँच में यदि असंज्ञेय अपराध घटित होना पाया जाता है तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर– धारा 174 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट (अदम चेक) लेखबद्ध की जायेगी।

प्रश्न क्र.19–यदि प्रारंभिक जाँच में कोई अपराध घटित होना नहीं पाया जाता है तो क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर– प्रारंभिक जाँच में कोई अपराध घटित होना नहीं पाये जाने पर अनुमति देने वाले उप पुलिस अधीक्षक से आदेश प्राप्त कर प्रारंभिक जाँच नस्तीबद्ध की जायेगी।

प्रश्न क्र.20– असंज्ञेय अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट किसे भेजी जायेगी ?

उत्तर– असंज्ञेय अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट उस न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत थाना आता है।

प्रश्न क्र.21– असंज्ञेय अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट किस प्रारूप में भेजी जायेगी ?

उत्तर– माह की 01 से 15 तारीख तक प्राप्त होने वाली समस्त असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट एक साथ पत्र के माध्यम से संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी।

प्रश्न क्र.22– किन अपराधों में घटनास्थल की वीडियोग्राफी बनवाई जायेगी ?

उत्तर– ऐसे अपराध जिन्हें सात वर्ष या अधिक के लिये दण्डनीय बनाया गया है, उन सभी अपराधों में घटनास्थल की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी।

प्रश्न क्र.23– धारा 180 के अंतर्गत किन अपराध के साक्षी का कथन ऑडियो–वीडियो के द्वारा भी अभिलिखित किया जायेगा ?

उत्तर– बलात्कार की पीड़ित महिला का कथन ऑडियो–वीडियो के माध्यम से अभिलिखित किया जायेगा।

नोट :– अन्य अपराध में भी साक्षी का कथन ऑडियो–वीडियो के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकता है।

प्रश्न क्र.24– यदि जिस साक्षी के धारा 180 के अंतर्गत अनुसंधान में कथन लिये जाना है, यदि वह कहीं बाहर है तो क्या ऑडियो–वीडियो के माध्यम से उसके कथन लिये जा सकते है ?

उत्तर– हाँ लिये जा सकते है।

प्रश्न क्र.25– बलात्कार की पीड़ित महिला का अनुसंधान के दौरान धारा 183 के अंतर्गत कथन कब कराया जायेगा ?

उत्तर– जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है वैसे ही धारा 183 के अंतर्गत कथन कराया जायेगा।

प्रश्न क्र.26– क्या बलात्कार के अलावा अन्य अपराध में भी अनुसंधान के दौरान धारा 183 के अंतर्गत न्यायालय में कथन कराये जा सकते है ?

उत्तर– 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध आजीवन या मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध वे भी कथन कराये जा सकते है।

प्रश्न क्र.27– किसी स्थान की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही को आडियो–वीडियो के माध्यम से अभिलिखित किये जाने के प्रावधान धारा 105 एवं 185 में दिये गये है। इन दोनों प्रावधानों में क्या अंतर है ?

उत्तर– 1. धारा 105 के अंतर्गत जब वारंट के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की जाती है जबकि धारा 185 के अंतर्गत अनुसंधान के दौरान किसी स्थान की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

2. धारा 105 के अंतर्गत तलाशी अभिग्रहण के अभिलेख एवं आडियो –वीडियो रिकार्डिंग की प्रति तत्काल वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी जबकि धारा 105 के अंतर्गत तलाशी अभिग्रहण के अभिलेख एवं आडियो–वीडियो रिकार्डिंग की प्रति 48 घंटे के अंदर अपराध का संज्ञान करने के लिये सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी।

प्रश्न क्र.28– धारा 105 एवं 185 में के प्रावधान किन अपराधों पर लागू होंगे ?

उत्तर– धारा 105 एवं 185 के प्रावधान प्रत्येक अपराध पर लागू होंगे।

प्रश्न क्र.29– धारा 105 एवं 185 के अंतर्गत आडियो–वीडियो रिकार्डिंग की प्रति मजिस्ट्रेट को किस माध्यम से भेजी जायेगी ?

उत्तर– धारा 105 एवं 185 में आडियो–वीडियो रिकार्डिंग की प्रति मजिस्ट्रेट को किस माध्यम से भेजी जायेगी, यह लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में आडियो–वीडियो रिकार्डिंग की प्रति पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ऐसी अन्य कोई डिवाइस या मेल के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकती है।

प्रश्न क्र.30– धारा 105 एवं 185 के अंतर्गत किस इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से आडियो–वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी ?

उत्तर– किसी भी आडियो–वीडियो इलेक्ट्रानिक साधन के माध्यम से रिकार्डिंग की जा सकती है। मोबाइल के माध्यम से भी रिकार्डिंग की जा सकती

है। धारा 105 एवं 185 में रिकार्डिंग के लिये मोबाइल को अधिमान्यतया प्रदान की गई है।

प्रश्न क्र.31– जब अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तब भी तलाशी और अभिग्रहण की आडियो–वीडियो रिकार्डिंग अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी ?

उत्तर– हाँ, धारा 105, 185 में मजिस्ट्रेट को रिकार्डिंग की प्रति भेज दी जाने के उपरांत अभियोग पत्र के साथ भी रिकार्डिंग की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

प्रश्न क्र.32–क्या आरोपी की गिरफ्तारी के 15 दिवस उपरांत भी आरोपी का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर– ऐसे अपराध जिसमें न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 90 दिन है वहाँ प्रथम 60 दिवस में और ऐसे अपराध जिसमें न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 60 दिन है वहाँ प्रथम 40 दिवस में कभी भी आरोपी का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न क्र.33–धारा 193 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में कैसे प्रस्तुत किया जायेगा ?

उत्तर– धारा 193 के अंतर्गत अभियोग पत्र वर्तमान में जिस प्रकार न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से भी अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अर्थात उक्त दोनों ही माध्यम से अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रश्न क्र.34– फरियादी को अनुसंधान की प्रगति की सूचना कब दी जायेगी ?

उत्तर– फरियादी को 90 दिनों की अवधि के भीतर अनुसंधान की प्रगति की सूचना दी जायेगी।

प्रश्न क्र.35–फरियादी को किस माध्यम से अनुसंधान की प्रगति की सूचना दी जायेगी।

उत्तर– फरियादी को किसी भी साधन द्वारा अनुसंधान की प्रगति की सूचना दी जा सकती है। इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से भी दी जा सकती है।

प्रश्न क्र.36– न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र की प्रति अभियुक्त को कौन प्रदान करेगा ?

उत्तर– अनुसंधान करने वाला पुलिस अधिकारी।

प्रश्न क्र.37– क्या इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से भी अभियोग पत्र की प्रति आरोपी को दी जा सकती है ?

उत्तर– हाँ, दी जा सकती है।

प्रश्न क्र.38– किसी अपराध में Further Investigation किसकी अनुमति से किया जायेगा ?

उत्तर– Further Investigation संबंधित न्यायालय की अनुमति से किया जायेगा।

प्रश्न क्र.39– Further Investigation कितने समय में पूर्ण किया जायेगा ?

उत्तर– 90 दिनों के अंदर पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न क्र.40– यदि 90 दिनों के अंदर भी Further Investigati पूर्ण नहीं होता है तब क्या होगा ?

उत्तर– न्यायालय की अनुज्ञा से 90 दिनों के पश्चात भी Further Investigation ऐसी अवधि में पूर्ण किया जा सकता है जिसका विस्तार न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

प्रश्न क्र.41– यदि किसी लोकसेवक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किये गये अपराध के संबंध में सरकार द्वारा धारा 218 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति 120 दिन के अंदर नहीं दी जाती है तब क्या होगा ?

उत्तर– 120 दिन की अवधि समाप्त होने पर यह माना जायेगा कि सरकार ने अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रश्न क्र.42– धारा 107 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की, जप्ती या वापसी से संबंधित प्रावधान किन अपराधों में लागू होंगे ?

उत्तर– किसी भी अपराध में उक्त प्रावधान लागू हो सकते है।

प्रश्न क्र.43– धारा 356 के अंतर्गत किस अपराध में आरोपी की अनुपस्थिति में विचारण किया जा सकता है ?

उत्तर– किसी भी ऐसे अपराध में जिसमें आरोपी को उद्घोषित किया गया है।

प्रश्न क्र.44– यदि कोई व्यक्ति अपराध करके फरार हो गया है और विदेश चला गया है तो क्या उसके अपराध का भी विचारण उसकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है ?

उत्तर– हाँ, किया जा सकता है।

प्रश्न क्र.45– धारा 497 के अंतर्गत मामले का विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिये आदेश देने की शक्ति किस मजिस्ट्रेट को प्राप्त है ?

उत्तर– विचारण के लिये मामले का संज्ञान करने या सुपुर्द करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट।

प्रश्न क्र.46– क्या धारा 497 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु पुलिस भी आवेदन कर सकती है ?

उत्तर– हाँ ।

प्रश्न क्र.47– धारा 497 के अंतर्गत न्यायालय कितने दिनों के अंतर्गत संपत्ति के निपटान, नष्ट, अधिहरण, परिदान का आदेश पारित करेगा ?

उत्तर– 30 दिन के भीतर ।

प्रश्न क्र.48– BNSS 01 जुलाई 2024 से लागू होगा, ऐसे अपराध जिनका अनुसंधान 01 जुलाई 2024 के पूर्व से लंबित है, उसका अनुसंधान किन प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ?

उत्तर– 01 जुलाई 2024 के पूर्व से लंबित मामलों का अनुसंधान CrPC. के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न क्र.49– यदि कोई अपराध 01 जुलाई 2024 के पूर्व घटित हुआ है जिसमें अपराध 01 जुलाई 2024 के पश्चात् पंजीबद्ध किया जाता है तो अपराध BNS में पंजीबद्ध किया जायेगा या भादवि में पंजीबद्ध किया जायेगा ?

उत्तर– यदि कोई अपराध 01 जुलाई 2024 के पूर्व घटित हुआ है जिसमें अपराध 01 जुलाई 2024 के पश्चात् पंजीबद्ध किया जाता है तो भादवि के अंतर्गत उक्त अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा।

प्रश्न क्र.50– यदि कोई अपराध निरंतर जारी रहने वाला है जिसका 01 जुलाई 2024 के पूर्व भी किया जाना निरंतर जारी था और 01 जुलाई 2024 के पश्चात भी किया जाना निरंतर जारी रहता है तो ऐसे अपराध में क्या होगा ?

उत्तर– यदि कोई अपराध निरंतर जारी रहने वाला है जिसका 01 जुलाई 2024 के पूर्व भी किया जाना निरंतर जारी था और 01 जुलाई 2024 के पश्चात भी किया जाना निरंतर जारी रहता है और ऐसा अपराध 01 जुलाई 2024 के पश्चात पंजीबद्ध किया जाता है तो वह अपराध भादवि एवं BNS दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जायेगा।

प्रश्न क्र.51– बलात्कार की पीड़ित महिला का मेडिकल परीक्षण कब कराया जायेगा?

उत्तर– अपराध की इत्तिला प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर कराया जायेगा।

प्रश्न क्र.52 धारा 377 भादवि (अप्राकृतिक कृत्य) का अपराध घटित होने पर भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा ?

उत्तर– धारा 377 भादवि, भारतीय न्याय संहिता में समाप्त कर दी गई है।

प्रश्न क्र.53 भारतीय न्याय संहिता क्यों लागू की गई ?

उत्तर– भादवि 1860 की थी, उसमें कई प्रावधानों का कोई महत्व नहीं रह गया था, उन्हें समाप्त किया जाकर कुछ नवीन अपराधों को जोड़ने के लिए कुछ अपराधों की सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के लिए, महिला एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों को एक साथ करने के लिए भादवि के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई।

प्रश्न क्र.54 धारा 107 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की, वापसी एवं राजसात के प्रावधान किस अपराध में लागू होंगे ?

उत्तर– किसी भी अपराध में लागू हो सकते है।

प्रश्न क्र.55 कूटरचित नोटों के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपराध पंजीबद्ध होगा ?

उत्तर– धारा 178 से 182 में प्रावधान है।

प्रश्न क्र.56 क्या धारा 106 (2) भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान 01 जुलाई 2024 से लागू होंगे ?

उत्तर – नहीं।

प्रश्न क्र.57 भारतीय न्याय संहिता के कितने अपराधों में सामुदायिक सेवा के दण्ड का प्रावधान है ?

उत्तर धारा 202, 209, 226, 303 (2), 355 एवं 356(2) कुल 6 अपराधों में।

प्रश्न क्र.58 हत्या का अपराध भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है ?

उत्तर हत्या की परिभाषा धारा 101 में एवं दण्ड 103 में है।

प्रश्न क्र.59 झपटमारी किस धारा में परिभाषित है ?

उत्तर धारा 304 में।

प्रश्न क्र.60 क्या प्रयत्न के अपराध में आरोपी को गिरफ्तार करते समय हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है ?

उत्तर– भारतीय न्याय संहिता की धारा 43(3) में वर्णित अपराधों के किये जाने पर हथकड़ी लगा सकते है, उक्त अपराधों के प्रयत्न पर नहीं।

प्रश्न क्र.61 मानहानि का अपराध होने पर किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जायेगी।

उत्तर– मानहानि का अपराध असंज्ञेय है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी।

प्रश्न क्र.62 क्या भारतीय न्याय संहिता के लिए सीसीटीएनएस में पर्याप्त सुविधा है ?

उत्तर– हां, सीसीटीएनएस को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप अपडेट किया जा चुका है।

प्रश्न क्र.63 क्या भारतीय न्याय संहिता में दण्ड को बढ़ाया गया है ?

उत्तर– 33 अपराधों में सजा एवं 83 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है।

प्रश्न क्र.64 क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से जल्दी न्याय संभव है ?

उत्तर– हां।

प्रश्न क्र.65 किन मामलों में एफएसएल अधिकारी घटनास्थल पर जायेंगे ?

उत्तर– धारा 176 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार सात वर्ष या उससे अधिक के दण्ड वाले मामलों में।

प्रश्न क्र.66 भादवि से क्या भारतीय न्याय संहिता बेहतर है ?

उत्तर – हां।

प्रश्न क्र.67 भारतीय न्याय संहिता की कितनी धाराएं समाप्त की गई ?

उत्तर – कुल 19 धाराएं समाप्त की गई।

प्रश्न क्र.68 घटनास्थल की वीडियो रिकार्डिंग किन अपराधों में आवश्यक है ?

उत्तर– सात वर्ष या उससे अधिक के दण्ड वाले मामलों में।

प्रश्न क्र.69 नवीन आपराधिक कानूनों में काम करने में परेशानी तो नहीं होगी ?

उत्तर– नहीं ।

प्रश्न क्र.70 क्या म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत भी धारा 105, 185 दण्ड प्रकिया संहिता लागू होगी ?

उत्तर– हां।

प्रश्न क्र.71 भारतीय न्याय संहिता में कितने नये अपराध जोड़े गये ?

उत्तर– 20 नये अपराध जोड़े गये।

प्रश्न क्र.72 आतंकवादी कृत्य, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है ?

उत्तर– धारा 113 (1) में।

प्रश्न क्र.73 झूठी रिपोर्ट लिखाने पर भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में कार्यवाही की जायेगी ?

उत्त – धारा 217, 248 में।

प्रश्न क्र.74 सामुदायिक सेवा का दण्ड किस धारा में परिभाषित है ?

उत्तर– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 के स्पष्टीकरण में।

प्रश्न क्र.75 असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में लिखी जायेगी ?

उत्तर– धारा 174 में।

प्रश्न क्र.76 गंभीर अपराध में जाँच कर सकेंगे ?

उत्तर– नहीं, सात साल से अधिक सजा वाले मामलों में प्रारंभिक जाँच नहीं होगी।

प्रश्न क्र.77 स्थान की तलाशी के समय वीडियोग्राफी का साधन नहीं हो तो क्या करेंगे ?

उत्तर– मोबाइल फोन से रिकार्ड कर सकते है।

प्रश्न क्र.78 धारा 498–ए के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा लगेगी ?

उत्तर– धारा 85 ।

प्रश्न क्र.79 बालक किसे माना गया है ?

उत्तर– जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उसे बालक माना गया है।

प्रश्न क्र.80 भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धारा है?

उत्तर– 20 अध्याय एवं 358 धारा है।

प्रश्न क्र.81 समन की तामीली कैसे की जायेगी?

उत्तर– पूर्व प्रक्रिया अनुसार और इलेक्ट्रानिक माध्यम से।

प्रश्न क्र.82 मॉब लिंचिंग का अपराध किस धारा में है ?

उत्तर– धारा 103 (2) समूह द्वारा हत्या एवं धारा 117 (4) समूह द्वारा घोर उपहति मॉब लिंचिंग के अपराध है।

प्रश्न क्र.83 आतंकवादी कृत्य का अपराध किसकी अनुमति से पंजीबद्ध किया जायेगा?

उत्तर– पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर पंक्ति के अधिकारी की अनुमति से।

प्रश्न क्र.84 चोरी का अपराध किस धारा में पंजीबद्ध किया जायेगा?

उत्तर– धारा 303 (2) में।

प्रश्न क्र.85 क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता से ज्यादा प्रभावी है?

उत्तर– हां।

प्रश्न क्र.86 तलाशी की वीडियोग्राफी करने से क्या फायदा होगा ?

उत्तर– अनुसंधान में पारदर्शिता आयेगी एवं तलाशी को इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

प्रश्न क्र.87 अर्नेश कुमार केस के प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी लागू होंगे?

उत्तर– हां ।

प्रश्न क्र.88 न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र की प्रति आरोपी को कौन देगा?

उत्तर– पुलिस द्वारा अभियोग पत्र की प्रति आरोपी को दी जायेगी।

प्रश्न क्र.89 धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा है?

उत्तर– धारा 170 ।

प्रश्न क्र.90 अभियोग पत्र न्यायालय में किस माध्यम से प्रस्तुत होगा ?

उत्तर– पूर्व अनुसार एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम से।

प्रश्न क्र.91 एफएसएल अधिकारी की कमी है फिर उन्हें घटनास्थल पर कैसे भेजेंगे ?

उत्तर– एफएसएल अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती हो रही है।

प्रश्न क्र.92 मर्ग जाँच किस धारा में होगी ?

उत्तर– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 में।

प्रश्न क्र.93 धारा 27 के मेमोरण्डम की भी वीडियोग्राफी की जायेगी ?

उत्तर– नहीं।

प्रश्न क्र.94 महिला की तलाशी एवं महिला की गिरफ्तारी कौन करेगा ?

उत्तर– महिला पुलिस अधिकारी ।

प्रश्न क्र.95 अनुसंधान के दौरान साक्षी के कथन हेतु किस धारा में सूचना पत्र दिया जायेगा ?

उत्तर– धारा 179 में।

प्रश्न क्र.96 द.प्र.सं. की धारा 161 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा है ?

उत्तर– धारा 180।

प्रश्न क्र.97 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से क्या फायदा होगा ?

उत्तर– त्वरित विचारण होकर त्वरित न्याय मिलेगा एवं अनुसंधान में पारदर्शिता आयेगी।

प्रश्न क्र.98 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के परिवर्तन का क्या उद्देश्य है ?

उत्तर– त्वरित न्याय, पीड़ित केन्द्रित, अनुसंधान में पारदर्शिता, अनुसंधान में आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग।

प्रश्न क्र.99 क्या किसी व्यक्ति की तलाशी लेते समय भी वीडियोग्राफी आवश्यक है ?

उत्तर– नहीं।

प्रश्न क्र.100 पुलिस रिमाण्ड की अधिकतम अवधि कितनी है ?

उत्तर– 15 दिन ।

प्रश्न क्र.101 गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिवार को देने के प्रावधान किस धारा में है ?

उत्तर– धारा 48 में।